

राजकीय महाविद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा के विकास में हरियाणा सरकार की भूमिका

सारांश

आज के भौतिक युग में शारीरिक शिक्षा का महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। शारीरिक शिक्षा से मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास, अनुशासन तथा धैर्य जैसे गुण उत्पन्न होते हैं।

हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण हरियाणा सरकार को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से मुँह मोड़ने का दोषी कहा जाना अनुचित नहीं होगा।

लगभग प्रत्येक महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक होने के बावजूद इस विषय का अध्ययन विषय के रूप में लागू नहीं होना मानव संसाधनों का समुचित उपयोग न होना ही कहा जायेगा।

हरियाणा सरकार के समय की आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विषय को शीघ्रतापूर्वक लागू करना चाहिए।

मुख्य शब्द: शारीरिक शिक्षा, हरियाणा, राजकीय महाविद्यालय, आर.टी.आई.।
पस्तावना

आज के युग में शारीरिक शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को अपने शरीर की बनावट, शरीर की कार्यप्रणाली का पता चलता है। हमारे शरीर को किस प्रकार के सन्तुलित आहार की आवश्यकता है जिसके द्वारा हमारा सम्पूर्ण विकास हो सके। इन सबका ज्ञान हमें शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। आज भारत के अनेक प्रदेशों में शारीरिक शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों से लेकर महाविद्यालयों में इसका अध्ययन करवाया जाता है।

आज व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ रखना एक चुनौती बन गया है जब तक हम शिक्षा को स्कूल से लेकर महाविद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में नहीं लागू करेंगे तब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में हम अपने आप को असमर्थ समझेंगे। अगर शारीरिक शिक्षा स्कूल व महाविद्यालयों में अनिवार्य होगी तो हम बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकेंगे क्योंकि स्कूल व महाविद्यालय खिलाड़ी की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण है।

शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकने में सक्षम हो जाता है एक स्वस्थ व शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति अपने देश की रीढ़ की हड्डी होता है जिसके कंधों पर देश की सुरक्षा निर्भर करती है। शरीर स दुर्बल व्यक्ति देश पर बोझ के समान होता है।

शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा दी जाती है जिससे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बनता है। आज की शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक रूप से विकास करना है जिससे वे अपने आपको समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी बना सके।

शारीरिक शिक्षा का अर्थ

शारीरिक शिक्षा मनुष्य को शारीरिक रूप से सजग और मानसिक रूप से जागरूक रखती है इससे आत्मनियंत्रण, अनुशासन तथा धैर्य जैसे गुण विकसित होते हैं। यदि शारीरिक शिक्षा समुचित ढंग से दी जाये तो यह ऊर्जा की उस निधि को प्रदान करती है जो प्रत्येक व्यक्ति के जिन्दा रहने और रोगों से मुकाबला करके उन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में शारीरिक शिक्षा को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है व शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आवश्यक अंग है। शारीरिक शिक्षा केवल झूल व नियमित व्यायाम से कहीं अधिक विस्तृत



रविन्द्र कुमार भुम्बक
सहायक प्रोफेसर,
शारीरिक शिक्षा विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
भट्टू कलां, फतेहाबाद

है इसमें सभी प्रकार के शारीरिक खेल क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें शारीरिक व मानसिक विकास होता है।

शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का अभिमत (View of Ministry of Education Govt. of India)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक सरकारी विज्ञापित 'शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय परियोजना' में कहा गया है। "शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा है इस शिक्षा के द्वारा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बालक के पूर्ण व्यक्तित्व में शारीरिक सम्पूर्णता के साथ है इस सम्पूर्णता की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य यह है कि वह बालक के मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों को प्रशिक्षित करके उसमें वातावरण के प्रति जागरूकता, मानसिक चेतना, साधन सम्पन्नता, अनुशासन, सहयोग, दूसरों के प्रति सहानुभूति, सम्मान एवं उदारता की भावना का उन्नयन करे। स्वतंत्र व लोकतंत्रात्मक वि"व में एक सुखी एवं समानुकूल जीवन के लिए इन गुणों की अत्यन्त आवश्यकता है।

Review of Literature

RTI Act. 2005 के तहत प्राप्त सूचनाओं का गहन अध्ययन किया गया।

Research Methodology

सर्वेक्षण और निदर्शन विधियों का प्रयोग किया गया।

साहित्यिक पुनरीक्षण

R.T.I. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त सूचनाओं से स्थिति से अवगत हुआ।

Hypothesis

हरियाणा सरकार का शारीरिक शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं है।

राजकीय महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा पर विचार विमर्श

आज हरियाणा सरकार द्वारा संचालित राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 105 के बराबर है। आज के समय 60 शारीरिक शिक्षक विभिन्न महाविद्यालयों में तैनात हैं। 2000-01 में शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय के रूप में लागू किया गया और अचानक बिना कारण के 2011-12 में हरियाणा सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा विषय को बन्द कर दिया गया। हरियाणा में शारीरिक शिक्षा के विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसका वि"लेषण करना इस शोध पत्र का उद्देश्य है और बताया जाता है कि हरियाणा सरकार ने महाविद्यालयों के स्तर पर शारीरिक शिक्षा विषय के रूप में स्थापना और विकास के लिए समय-समय पर क्या-क्या कदम उठाए।

वर्ष 2000 से 2013 तक हरियाणा के राजकीय महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षण की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	शारीरिक शिक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या	महाविद्यालय का नाम	शिक्षक			
1.	2005-06	(52 BA-I)	G.C.W. Rohtak	1			
	2006-07	(50 BA-I)+(41 BA-II)					
	2007-08	(45 BA-I)+(48 BA-II)+(38 BA-III)					
	2008-09	(55 BA-I)+(32 BA-II)+(36 BA-III)					
	2009-10	(83 BA-I)+(57 BA-II)+(36 BA-III)					
	2010-11	(68 BA-I)+(72 BA-II)+(42 BA-III)					
	2011-12	(56 BA-II)+(46 BA-III)					
	2012-13	(50 BA-III)					
	2.	2004-05			(20 BA-I)	G.C. Tigoan	1
		2005-06			(24 BA-I) (14 BA-II)		
2006-07		(38 BA-I)+(21 BA-II) (8 BA-III)					
2007-08		(51 BA-I)+(31 BA-II)+(11 BA-III)					
2008-09		(54 BA-I)+(33 BA-II)+(23 BA-III)					
2009-10		(52 BA-I)+(36 BA-II)+(31 BA-III)					
2010-11		(53 BA-I)+(22 BA-II)+(28 BA-III)					
2011-12		(32 BA-II)+(13 BA-III)					
2012-13		(20 BA-III)					

		BA-I	BA-II	BA-III		
3	2004-05	40	-	-	G.C. Safidon	1
	2005-06	104	33	-		
	2006-07	105	69	31		
	2007-08	84	75	56		
	2008-09	98	53	61		
	2009-10	103	42	48		
	2010-11	54	31	-		
	2011-12	3	21			
2012-13	-	25				

Periodic Research

		BA-I	BA-II	BA-III		
4	2007-08	22	-	-	G.C.W. Hisar	1
	2008-09	30	30	-		
	2009-10	32	34	30		
	2010-11	54	41	35		
	2011-12	28	11	-		
	2012-13	-	25	-		
		BA-I	BA-II	BA-III		
5	2000-01	48	-	-	G.C. Punchkula Sec-1	1
	2001-02	71	48	-		
	2002-03	86	71	48		
	2003-04	72	86	71		
	2004-05	49	72	86		
	2005-06	48	32	63		
	2006-07	101	33	29		
	2007-08	89	55	28		
	2008-09	102	38	52		
	2009-10	76	62	38		
	2010-11	79	36	45		
	2011-12	-	52	30		
	2012-13	-	-	48		
		BA-I	BA-II	BA-III		
6.	2004-05	31			G.C. Hodal	Vacant
	2005-06	98				
	2006-07	129				
	2007-08	159				
	2008-09	105				
	2009-10	128				
	2010-11	60				
7.	80 Student in each class BA-I, II, III				G.C. Siwani	1 Post
8.		BA-I	BA-II	BA-III		
	2007-08	29			G.C.W. Bhiwani	Vacant
	2008-09	66				
	2009-10	142				
	2010-11	120				
	2011-12	90				
	2012-13	29				
	2013-14	NIL				
		BA-I	BA-II	BA-III		
9	2007-08	32	-	-	G.C.W. Tosham	Vacant
	2008-09	-	32	-		
	2009-10	55	31	32		
	2010-11	55	43	33		
	2011-12	-	55	29		
	2012-13	-	-	55		
10	2005-06	39			G.C. Ambala Cantt.	1 Post
	2006-07	34				
	2008-09	30				
	2009-10	38				
	2010-11	49				
11	2005-06	25			G.C.W. Sampla	Vacant
	2006-07	40				
	2007-08	36				
	2008-09	31				
	2009-10	67				
	2010-11	91				
	2011-12	63				
	2012-13	35				
12	2004-05	135			G.C. Bhwani	2 post
	2005-06	129				

	2006-07	124				
	2007-08	144				
	2008-09	111				
	2009-10	109				
	2010-11	23				
13	2005-06 से 2011-12 40 सीटें भरी जाती थी।			G.C. Faridabad	1 post	
14	2010-11	28			G.C. Nehru,	Jhajjar vacant

(वर्ष 2015-16 में राजकीय महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय पुनः शुरू करने का विवरण)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय	Sanction no. of seats in physical edu. as elective subject in B.A.
1	डी रा0 महाविद्यालय, गुड़गांवा	शारीरिक शिक्षा	80
2	रा0 महिला महाविद्यालय, भवानी खेड़ा	शारीरिक शिक्षा	40
3	रा0 महाविद्यालय, बहादुरगढ़	शारीरिक शिक्षा	40
4	पी.जी.रा. महाविद्यालय, गुड़गांवा सेक्टर-14	शारीरिक शिक्षा	80
5	रा0 महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद	शारीरिक शिक्षा	40
6	रा0 महिला महाविद्यालय, तोताम	शारीरिक शिक्षा	40
7	राजकीय महाविद्यालय, नारनौद (हिसार)	शारीरिक शिक्षा	40
8	रा0 महिला महाविद्यालय, सेक्टर-14 पंचकुला	शारीरिक शिक्षा	40
9	रा0 महाविद्यालय, बौदकलां	शारीरिक शिक्षा	40
10	रा0 महाविद्यालय, जटोली हेलीमंडी	शारीरिक शिक्षा	40
11	रा0 नेशनल महाविद्यालय, सिरसा	शारीरिक शिक्षा	80
12	राजकीय महाविद्यालय, भेरियां	शारीरिक शिक्षा	40
13	राजकीय महिला महाविद्यालय, हिसार	शारीरिक शिक्षा	40
14	राजकीय महिला महाविद्यालय, करनाल	शारीरिक शिक्षा	40
15	राजकीय महिला महाविद्यालय, रेवाड़ी	शारीरिक शिक्षा	40
16	राजकीय महिला महाविद्यालय, रोहतक	शारीरिक शिक्षा	80
17	राजकीय महाविद्यालय, तिगांव	शारीरिक शिक्षा	40
18	राजकीय महाविद्यालय, भिवानी	शारीरिक शिक्षा	80
19	राजकीय महाविद्यालय, हिसार	शारीरिक शिक्षा	80
20	राजकीय महाविद्यालय, जीन्द	शारीरिक शिक्षा	80
21	के टी महाविद्यालय, रतिया	शारीरिक शिक्षा	40
22	पी.आई.जी. रा. महिला महाविद्यालय, जीन्द	शारीरिक शिक्षा	40
23	प0 चिरंजीलाल रा0 पी0जी0 कॉलेज, करनाल	शारीरिक शिक्षा	80
24	प0 जे0एल0एन0 कॉलेज, फरीदाबाद	शारीरिक शिक्षा	80
25	प0 एन.आर.एस. रा0 महाविद्यालय, रोहतक	शारीरिक शिक्षा	80
26	राजकीय महाविद्यालय, साहा	शारीरिक शिक्षा	40
27	राजकीय पी0जी0 महाविद्यालय, कालका	शारीरिक शिक्षा	40

निष्कर्ष एवं सुझाव

जब राज्य स्तर पर चारों तरफ से शारीरिक शिक्षा विषय को पुनः शिक्षण विषय के रूप में शुरू करने का दबाव पड़ा तो सरकार जगी तो सही आंशिक रूप में ही सही सरकार का यह कदम भी अधुरा ही कहा जायेगा, जब राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 60 के लगभग है तो फिर 27 महाविद्यालयों में ही शारीरिक शिक्षा विषय को क्यों शुरू किया गया? समझ में आन वाली बात नजर नहीं आती।

सरकार को चाहिए कि अपनी कथनी और करनी में एकरूपता रखते हुए अपनी बनाई नीतियों के सही क्रियान्वयन व मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग व

विकास के लिए शारीरिक शिक्षा को शिक्षण विषय के रूप में पुनः सभी राजकीय महाविद्यालयों में शुरू करवाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजकीय महाविद्यालय, रोहतक R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 2610-11 दिनांक 08/11/2014 सारणी न.1।
2. राजकीय महाविद्यालय, तिगांव R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 65-66 दिनांक 05/11/2014 सारणी नम्बर 2।
3. राजकीय महाविद्यालय, सफीदों R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक GCS/2014/1554-55 दिनांक 04/11/2014 सारणी नम्बर 3।

Periodic Research

4. राजकीय महाविद्यालय, थान R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक EC/2014/525-26 दिनांक 30/10/2014 सारणी नम्बर 4।
5. राजकीय महिला महाविद्यालय, भोडिया खेड़ा R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक GCWF-14/1349-50 दिनांक 29/10/2014 सारणी नम्बर 5।
6. राजकीय महिला महाविद्यालय, हिसार R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 615.616 दिनांक 3/11/2014 सारणी नम्बर 6।
7. राजकीय महाविद्यालय, पंचकुला R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 384.85 दिनांक 21/10/2014 सारणी नम्बर 7।
8. राजकीय महाविद्यालय, होडल R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक GCH/2014/3360 दिनांक 31/10/2014 सारणी नम्बर 8।
9. राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय, भिवानी R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 2437.38 दिनांक 3/11/2014 सारणी नम्बर 9।
10. राजकीय महिला महाविद्यालय, तोषाम R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक GCWT/2014/1207 दिनांक 18/10/2014 सारणी नम्बर 10।
11. राजकीय महाविद्यालय, अम्बाला कैट R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक GC/14/1151-52 दिनांक 27/10/2014 सारणी नम्बर 11।
12. राजकीय महिला महाविद्यालय, साँपला R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 1284.85 दिनांक 30/10/2014 सारणी नम्बर 12।
13. राजकीय महाविद्यालय, भिवानी R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 1714.15 दिनांक 25/11/2014 सारणी नम्बर 13।
14. राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 2568.69 दिनांक 13/11/2014 सारणी नम्बर 14।
15. राजकीय महाविद्यालय, झज्जर R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 2097.98 दिनांक 29/10/2014 सारणी नम्बर 15।
16. राजकीय महाविद्यालय, नलवा R.T.I. Act, 2005 यदि क्रमांक 4759.61 दिनांक 3/12/2014 सारणी नम्बर 16।